

उपायुक्त

1. पूरे क्षेत्र के प्रभारी एवं क्षेत्रीय स्वच्छता विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी
2. सहायक आयुक्त एवं सफाई अधीक्षक के समन्वय में सफाई इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑटो टिप्पर, लोडर, हैंड रिक्शा आदि के प्रबंधन की जिम्मेदारी
3. प्रतिदिन कुछ क्षेत्र, जहाँ से गन्दगी की शिकायत आती है, का औचक निरीक्षण करना
4. उच्चाधिकारियों के सफाई संबंधी निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना

सहायक आयुक्त

- 1- पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के समग्र पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी
- 2- सफाई अधीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक से पर्यवरण सहायकों की तैनाती व हाजिरी की रिपोर्ट, ढलावों की सफाई की रिपोर्ट, गंभीर ढलावों की सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए ढलाव से कूड़ा उठाने की रिपोर्ट लेना
- 3- सफाई इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑटो टिप्पर, लोडर, हैंड रिक्वा आदि के प्रबंधन की जिम्मेदारी
- 4- प्रतिदिन कुछ क्षेत्र, जहाँ से गन्दगी की शिकायत आती है, का औचक निरीक्षण करना
- 5- क्षेत्रीय उपायुक्त को समग्र रिपोर्ट देना
- 6- उच्चाधिकारियों के सफाई संबंधी निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना
- 7- सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन बनाना पे स्लीप देना तथा वेतन समय पर देना

स्वच्छता अधीक्षक (एस एस) (प्रति जोन 2

स्वच्छता अधीक्षक)

- 1- जोन के सभी फील्ड स्टाफ का पर्यवेक्षण करना
- 2- पर्यावरण सहायकों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण करना
- 3- प्रतिदिन क्षेत्र में जाना
- 4- कम से कम 05 ढलावों एवं 02 सामुदायिक षौचायलों/03 पेशाबघर का दिन में एक बार औचक निरीक्षण करना और सैल्फी अपलोड करना
- 5- सफाई मार्गदर्शक (एस जी)/स.स.नि./स.नि. को निर्देश देना

कार्यकारी कर्तव्य

- 1- सभी कर्मचारियों का ड्यूटी पीरियड समय पर डी.डी.ओ. को भेजना
- 2- जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना
- 3- सफाई के भण्डारों की प्रत्यक्ष जांच और उपलब्धता सुनिश्चित करना
- 4- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रतिधिकारी को सभी रिपोर्ट भेजना
- 5- वर्दियों, स्वच्छता भंडारों और सामग्री की मांग निर्धारित करना
- 6- वाहनों का षैडिंग से समय पर बाहर निकलना सुनिश्चित करने हेतु वर्कशॉप का नियमित दौरा करना
- 7- उनके पर्यवेक्षक प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य

मुख्य सफाई निरीक्षक

- 1- सफाई मार्गदर्शक (एस जी)/स.स.नि./स.नि. के काम का पर्यवेक्षण करना
- 2- कम से कम 04 बीट की हाजिरी की प्रतिदिन औचक जाँच करना
- 3- कम से कम 10 ढलावों एवं 05 सामुदायिक षौचायलों/तथा 05 पेशाबघर का दिन में एक बार औचक निरीक्षण करना और सैल्फी अपलोड करना
- 4- सफाई निरीक्षको/सहा-सफाई निरीक्षको की उपस्थिति की नियमित जाँच करना
- 5- न्यूनतम 06 सफाई निरीक्षकों के क्षेत्र का सघन निरीक्षण एक पूर्वाह्न पाली में और एक दोपहर के बाद
- 6- सफाई की गम्भीर समस्याओं का समाधान करना
- 7- अस्वच्छ स्थितियों वाले क्षेत्रों के संबंध में स.नि./स.स.नि/स्वच्छता मार्गदर्शक (एस.जी) को निर्देश देना

कार्यकारी कर्तव्य

- 1- यह सुनिश्चित करना कि सभी विशेष शिकायते, उपायुक्त/डी-इन-सी को अग्रेशित हों
- 2- कूड़ा गिराये जाने वाले मैदानों के कुषल कार्य-उपयोग हेतु ध्यान देना
- 3- जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करना
- 4- जन सुविधाओं और ढलावों के निर्माण हेतु नए प्रस्ताव देना
- 5- स्वच्छता संबंधी भंडारों का त्रैमासिक प्रत्यक्ष सत्यापन करना
- 6- महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिन्हों सहित क्षेत्र का नक्शा, दैनिक डायरी इत्यादि का रिकार्ड रखना
- 7- उसके पर्यवेक्षक प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य

- 1- अपने वाड़े के सभी कमेचारेयो की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- 2- कम से कम 03 बीट की हाजिरी की प्रतिदिन औचक जाँच करना
- 3- आबंटित वार्ड की साफ-सफाई को सुनिश्चित करना
- 4- जीरो ढलाव सुनिश्चित करना
- 5- एस0 डब्ल्यू0 नाले और सतही नालों की सफाई सुनिश्चित करना
- 6- लापता ढक्कन वाले मैनहोल की सैल्फी अपलोड करना और रिपोर्टिंग एवं समाधान कराना
- 7- गन्दगी हेतु मौके पर ही चालान करना और चालान का फोटो अपलोड करना
- 8- ऑटों टिप्पर्स/ट्रैक्टर/लोडर आदि की अनुपस्थिति/विलम्ब का समाधान करना तथा रिकार्ड मेनटेन करना
- 9- ट्रकों की मानकों के अनुसार उनके टनेज सुनिश्चित करना
- 10- ट्रकों की पूरी क्षमता तक कूड़ा भरने को सुनिश्चित करना
- 11- जन प्रतिनिधियों/आर डब्ल्यू ए की शिकायतों का निपटारा करना
- 12- स्वच्छता सामग्री की सभी भंडार मदों की आवश्यकता व व्यवस्था करना
- 13- स्वच्छता कर्मचारियों का ड्यूटी पीरियड तैयार कर समय पर भेजना

सहायक सफाई निरीक्षक (3-4 सैनिटरी गाईडों का क्षेत्र तथा एक अतिरिक्त क्षेत्र)

- 1- अपने आबंटित बीट के पर्यावरण सहायकों की सुबह 06:30 बजे और दोपहर 02:30 पर हाजिरी लेना और सभी पर्यावरण सहायकों के साथ सैल्फी को अपलोड करना
- 2- ढलाव चौकीदार के साथ सुबह 06:30 बजे और दोपहर 02:30 पर सैल्फी को अपलोड करना
- 3- जीरो ढलाव सुनिश्चित करना
- 4- अपने क्षेत्र का लगातार निरीक्षण करते रहना, सभी पर्यावरण सहायकों की पूरे ड्यूटी समय में निरंतर उपस्थिति और सफाई सुनिश्चित करना
- 5- ट्रकों की मानकों के अनुसार उनके टनेज सुनिश्चित करना
- 6- रोज झाड़ू लगवाना, नालियों, पेशाबघरों/सामुदायिक षौचालयों की साफ सफाई सुनिश्चित करना

अलावा कहीं नहीं ड़ालने को सुनिष्वत करना

- 9- प्रति दिन 11:30 सुबह श्रम कार्यक्रम (फटीग प्रोग्राम) करना
- 10- स्वच्छता की गंभीर समस्याओं को अपने सफाई निरीक्षक को रिपोर्ट करना
- 11- ढलाव चौकीदार की रिपोर्टिंग की निगरानी करना एवं उसकी षिकायतों का निवारण करना
- 12- ड्यूटी छोडकर भागे पर्यावरण सहायकों की रिपोर्टिंग करना
- 13- दिये गये क्षेत्र में सफाई न करने वाले पर्यावरण सहायको के नाम अपलोड करना
- 14- अनुपस्थित/छुट्टी पर गये पर्यावरण सहायको के स्थान पर एवजीदार/दैनिक वेतन भोगी पर्यावरण सहायक को ड्यूटी पर तैनात करना एवं उनकी रिपोर्ट अपलोड करना
- 15- ट्रक लोडर का निर्धारित समय पर न पहुचने पर रिपोर्ट करना अपलोड करना
- 16- गन्दगी हेतु मौके पर ही चालान करना और चालान का फोटो अपलोड करना
- 17- सफाई मार्गदर्षक (सैनेट्रारी गाईड) के एरिया में गन्दगी का चालान करना और अपलोड करना
- 18- ड्राईवर यदि कूड़ा कम मात्रा में ले जाता है तथा पल्ली नही डलवाता है तो उसकी ई.एस.एफ. को/एस.एफ.आर.आर. को तुरन्त रिपोर्ट करना तथा अपलोड करना

सफाई मार्गदर्षक (सैनेटरी गाईड) (30-40 पर्यावरण सहायकों हेतु)

- 1- अपने आवंटित बीट के पर्यावरण सहायकों की सुबह 06:30 बजे और दोपहर 02:30 पर हाजिरी लेना और सभी पर्यावरण सहायकों के साथ सैल्फी को अपलोड करना
- 2- ढलाव चौकीदार के साथ सुबह 06:30 बजे और दोपहर 02:30 पर सैल्फी को अपलोड करना
- 3- प्रत्येक बीट का निरीक्षण लगातार करते रहना
- 4- रोज झाडू लगवाना, नालियों, पेषाबघरों/सामुदायिक षौचालयों की साफ सफाई सुनिष्वित करना
- 5- कचरा, कूडादान या ढलाव के अलावा कहीं नहीं ड़ालने को सुनिष्वत करना

- उनका निपटारा मौके पर ही करना
- प्रकार के निपटारे के लिए फटीग प्रोग्राम (फटीग प्रोग्राम) करना
- 8- स्वच्छता की गंभीर समस्याओं को अपने सफाई निरीक्षक को रिपोर्ट करना
- 9- ढलाव चौकीदार की रिपोर्टिंग की निगरानी करना एवं उसकी शिकायतों का निवारण करना
- 10- ड्यूटी छोड़कर भागे पर्यावरण सहायकों की रिपोर्टिंग करना
- 11- दिये गये क्षेत्र में सफाई न करने वाले पर्यावरण सहायको के नाम अपलोड करना
- 12- अनुपस्थित/छुट्टी पर गये पर्यावरण सहायको के स्थान पर एवजीदार/दैनिक वेतन भोगी पर्यावरण सहायक को ड्यूटी पर तैनात करना एवं उनकी रिपोर्ट अपलोड करना
- 13- ट्रक लोडर का निर्धारित समय पर न पहुंचने पर रिपोर्ट करना अपलोड करना

ढलाव चाकादार

- 1- कचरे को ढलाव के भीतर-भीतर रखना
- 2- ढलाव के आस-पास सफाई व्यवस्था बनाये रखना
- 3- ट्रक/लोडर के निर्धारित समय पर न पहुँचने की रिपोर्टिंग एस.जी./ए.एस.आई./एस.आई. को करना
- 4- ढलाव का पूरा कूड़ा ट्रक में भर दिया गया है यह सुनिश्चित करना तथा उस पर पल्ली ढकना
- 5- ढलाव साफ होने के पश्चात् झाड़ू लगाकर चूना लगाना।

आर.आर. ट्रक/लोडर चालक

- 1- चालक को अपने आंबटित वार्ड अथवा ढलाव पर काम करना है
- 2- प्रातः 6:30 बजे ट्रक/लोडर आदि की जाँच कर एवं डीजल के साथ अपने क्षेत्र में पहुँचना
- 3- ट्रकों की मानकों के अनुसार उनके टनेज सुनिश्चित करना
- 4- ट्रक को पूरी तरह कम से कम एस.एम.टी. भरवाकर तथा पल्ली से ढकवाकर एस.एल.एफ. तक ले जाना
- 5- ढलाव को पूरी तरह (जीरो गारबेज) साफ करने के बाद ही दूसरे ढलाव पर जाना
- 6- जहाँ-जहाँ से कूड़ा उठाया है उन सभी ढलावों की प्रविष्टि लॉग बुक में करना एवं उसे अपलोड करना
- 7- उठाये गए कूड़े की पर्ची को अपलोड करना तथा उसे आर. आर. डिपो के ए.एस.आई./एस.आई. को जमा करना
- 8- निरीक्षण के दौरान यह पाए जाने पर कि ढलाव से कम कूड़ा उठाया गया है तो इसकी जिम्मेदारी ट्रक/लोडर चालक पर डाली जाएगी
- 9- कूड़ादान/ढलाव साफ होने से पहले और बाद में फोटो अपलोड करना
- 10- ट्रक/लोडर को मीटर रीडिंग के अनुसार चलाना तथा मीटर खराब होने पर डिपों तुरन्त रिपोर्ट करना
- 11- दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस को रिपोर्ट करना एवं फोटो अपलोड करना। पुलिस रिपोर्ट नही हो पाने पर ट्रक को हुई क्षति की जिम्मेवारी चालक की होगी



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[*Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features*](#)

आर. आर. डिपा क मुख्य सफाई निरीक्षक / सफाई निरीक्षक

1. गाड़ियों को समय से क्षेत्र में प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में भिजवाना
2. गाड़ियों में खराबी की शिकायत का अधिषासी अभियन्ता, ऑटो तथा सफाई अधीक्षक/सहायक आयुक्त/उपायुक्त को बताना
3. ऑउट शैडिंग रिपोर्ट अपलोड करना
4. ड्राइवरों की शिकायतों को सुनना व निरीक्षण करना तथा ड्यूटी पीरियड तैयार करना
5. सभी ढलावों की सफाई को सुनिश्चित करना
6. क्षमता से कम कूड़ा उठाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सूचित करना और अपलोड करना

आर. आर. डिपो के सहायक सफाई निरीक्षक

1. ड्राइवरों की हाजिरी 6:30 बजे लेकर हाजिरी रजिस्टर की फोटो अपलोड करना
2. ट्रक को डीजल देने हेतु ड्राइवर को ईन्डेन्ट देना
3. ट्रको की खराबी की रिपोर्ट अधिषासी अभियन्ता, ऑटो को देना और अपलोड करना
4. पल्ली इत्यादि स्टोर से लाना तथा ट्रक ढककर जायें यह सुनिश्चित करना
5. ड्राइवरों का ड्यूटी पीरियड समय पर तैयार कर भेजना
6. ड्राइवरों को वार्ड के ढलाव आंबटित करना और उसकी रिपोर्ट अपलोड करना